

कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रं./ 05 /न.पा.नि./ जलप्रदाय शाखा /2015/2015-16/बीरगांव,दिनांक 13/02/2015

मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण (विस्तृत निविदा सूचना)

निकाय के जलप्रदाय शाखा हेतु पात्र फर्मों से पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट से दो लिफाफा पद्धति में सीलबंद निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित हैं :-

निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 18.03.2015 सायं 3.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 20.03.2015 सायं 5.00 बजे तक
निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि 23.03.2015 अपराह्न 3.00 बजे तक
प्राप्त निविदाओं को खोलने की तिथि 23.03.2015 सायं 4.00 बजे

क्रं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत लाख रू.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रू.	अमानत राशि रू.
1	डी. आई. पार्सिप एवं फिटिंग्स सामग्री आपूर्ति	19.50	750.00	58500.00
2	डी. आई. पार्सिप लाईन मरम्मत कार्य व इंटरकनेक्शन कार्य (लेबर वर्क)	10.00	750.00	7500.00
3	जी. आई. पार्सिप एवं फिटिंग्स सामग्री आपूर्ति	19.50	750.00	58500.00
4	जी. आई. पार्सिप लाईन मरम्मत कार्य (लेबर वर्क)	10.00	750.00	7500.00
5	हैण्ड पम्प/हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री आपूर्ति	19.50	750.00	58500.00
6	सबमर्सिबल पंप/केबल वायर इत्यादि आपूर्ति	10.00	750.00	58500.00
7	सबमर्सिबल पंप/मोटर मरम्मत कार्य (सामग्री एवं लेबर सहित)	19.50	750.00	14625.00
8	पेनल बोर्ड स्टार्टर/स्टार्टर मरम्मत सामग्री आपूर्ति	5.00	750.00	15000.00
9	पेनल बोर्ड/स्टार्टर मरम्मत कार्य (लेबर वर्क)	3.00	750.00	3000.00
10	पेनल प्रोटेक्शन बॉक्स बनाना व स्थापना कार्य (सामग्री एवं लेबर सहित)	19.50	750.00	14625.00
11	हैण्ड पम्प/सबमर्सिबल पम्प मरम्मत हेतु खोलना/डालना कार्य (लेबर वर्क)	19.50	750.00	14625.00
12	हैण्ड पम्प/सबमर्सिबल पम्पों में क्लोरीन लिक्विड डालना कार्य (लेबर वर्क)	3.00	750.00	3000.00

निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञापित, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाइट www.nagamnigambirgaon.com अथवा संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।

आयुक्त

नगर पालिक निगम बीरगांव

पृ. क्रं./ 06 /न.पा.नि./ जलप्रदाय शाखा /2015/2015-16/बीरगांव,दिनांक 13/02/2015

प्रतिलिपि :-

- कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायपुर/कार्यालय नगर पालिक निगम बीरगांव, जिला-रायपुर (छ.ग.) नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु सादर प्रेषित।
- डॉटा सेन्टर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर, छ.ग. की ओर **संचालनालय की वेबसाइट www.uad.cg.gov.in** में अपलोड करने हेतु।
- सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र
रायपुर को आगामी साधारण अंक में **एक दिवस न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन हेतु**। छ.ग. संवाद द्वारा निर्धारित फांट साईज से बड़े साईज में प्रकाशित करने पर भुगतान के लिए निकाय उत्तरदायी नहीं होगी।

आयुक्त

नगर पालिक निगम बीरगांव

// निविदा की शर्तें //

निविदा कं. 05/दिनांक 13.02.2015 के लिए शर्तें (सत्र 2015-16) :-

01. निविदा के प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य है।
02. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
03. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
04. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता :-
निविदा समूह कं. 1, 3, 5, 6 व 8 हेतु - (1) संबंधित कंपनी का स्वामित्व अथवा जीवित अधिकृत विक्रेता प्रमाण-पत्र/अधिकृत डीलरशीप प्रमाण पत्र (2) वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र (3) आयकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र
निविदा समूह कं. 2, 4, 7, 9, 10, 11 व 12 हेतु - (1) आयकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र (सभी निविदा समूह हेतु) (02) विद्युत मरम्मत कार्य हेतु सक्षम श्रेणी में लायसेंस (3) पाईप लाईन मरम्मत हेतु जी.आई. व डी.आई. पाईप लाईन मरम्मत कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र। (4) हैण्ड पम्प/सबमर्सिबल पम्प मरम्मत हेतु खोलना/डालना कार्य (लेबर वर्क) व हैण्ड पम्प/सबमर्सिबल पम्पों में क्लोरीन लिक्विड डालना कार्य (लेबर वर्क) के लिए कार्यानुभव प्रमाण-पत्र।
निविदा समूह कं. 10 हेतु (1) एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत ठेकेदार का सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (2) वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र (3) यदि फर्म है तो पार्टनर शीप डीड प्रमाण पत्र (4) राजस्व शोध क्षमता प्रमाण पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी/बैंक गारंटी। इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदाय की जावेगी।
05. यदि निविदाकार एक से अधिक समूह में निविदाएं प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक निविदा समूह के लिए कण्डिका कं. (04) के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक-पृथक सेट जमा करना अनिवार्य होगा।
06. अमानत राशि :- निविदा समूह कं. 1, 3, 5, 6 व 8 के लिए अमानत राशि आयुक्त, नगर पालिक निगम, बीरगांव के नाम से भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के **डिमाण्ड ड्रॉफ्ट** के रूप में तथा निविदा समूह कं. 2, 4, 7, 9, 10, 11 व 12 के लिए **एफ.डी.आर.** के रूप में स्वीकार की जावेगी।
07. सीलबंद निविदाएं ही स्वीकार की जावेगी।
08. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा।
09. पहले लिफाफा 'अ' में अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जावेगा। पर्याप्त अमानत राशि का एफ.डी.आर. अथवा डी.डी. संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। अन्यथा निरस्त कर दिया जावेगा।
10. उपयोग किया गया/आपूर्ति किया गया सामग्री आई.एस.आई. मार्क एवं उच्च क्वालिटी का होना अनिवार्य है।
11. अतिआवश्यक सेवा से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति कार्यादेश तिथि को ही अथवा कार्य की प्रकृति अनुसार अधिकतम 03 दिवस में आपूर्ति करनी होगी।
12. यदि स्थल पर उपयोग की गई/आपूर्ति की गई सामग्री,सेम्पल सामग्रियों से निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है तो उसके अनुरूप राशि काटी जावेगी अथवा निविदा निरस्त भी की जा सकेगी। जिसके लिए निविदाकार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
13. जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव कार्यालय से निविदा प्रपत्र क्रय करना चाहते हैं वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को अपरान्ह 3.00 बजे तक कण्डिका कं. (04) एवं (05) अनुसार दस्तावेज मय आवेदन निकाय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को सायं 5.00 बजे तक निकाय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।
14. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय निकायों के लिए निर्धारित निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम बीरगांव व विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है। जो निविदाकार नगर पालिक निगम बीरगांव की वेबसाईट www.nagamigambirgaon.com अथवा संचालनालय की वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कण्डिका कं. (04) एवं (05) अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक-पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज व आयुक्त, नगर पालिक निगम,बीरगांव के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. को लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. व पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत, पात्र होने की दशा में ही कण्डिका कं. (09) अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
15. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
16. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्रदाय/निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।

17. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसमें कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
18. सामग्री/कार्य की आवश्यकतानुसार ही कार्यादेश जारी किए जावेंगे।
19. जो सामग्री सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा स्वीकृत है उन सामग्रियों की दरें उक्त निविदा में सी.एस.आई.डी.सी. दर से अधिक प्राप्त होने पर निकाय क्रय करने/कार्य कराने बाध्य नहीं होगी।
20. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी/निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की राशि निविदाकार से वसूली की जावेगी।
21. उपयोग किया गया सामग्री आई.एस.आई. मार्क एवं निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप होना अनिवार्य है।
22. पाईप लाईन मरम्मत उपरांत काटे गए रोड की भराई/कांकीटीकरण आदि मरम्मत कार्य ठेकेदार को करनी होगी, जिसके लिए अनुबंधित दरों पर भुगतान देय होगा।
23. यदि आयुक्त/इंजीनियर की राय में कोई भी किया गया काम विकृत/अपूर्ण या कुशल कारीगर के नहीं है या उसमें उपयोग किया गया सामान हीन है, तो लिखित में मांग किये जाने पर वह ठेकेदार उसमें तुरंत सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा और उसके इस कार्य को आयुक्त/इंजीनियर जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा करने से इंकार करने पर या हीन गुणों के समझे गये सामान को और ठेके शर्तों के विपरीत सामान को कार्य स्थल से निर्धारित समय में हटाने और निष्प्रयोजन वस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य वस्तु या सामान न जाने पर आयुक्त/इंजीनियर द्वारा लिखित मांग किये जाने से 10 दिन से अनाधिक समय में अनुपालन ना करने पर प्राक्कलन की राशि पर एक प्रतिशत की दर से क्षति का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
24. निर्माण में नगर पालिक निगम अधिनियम तथा कार्य विभाग मैनुअल का पालन करना होगा।
25. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम बीरगांव का निर्णय मान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम, बीरगांव
जिला-रायपुर (छ.ग.)